न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2017 (रसद)
पंजीयन दिनांक 03.10.2017

राज्य सरकार जरिये भंवर लाल नाई, प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़

..................प्रार्थी

बनाम

1-श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य दुकानदार, तलावदा (अस्थाई व्यवस्था) ग्राम पंचायत बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2-श्री गोपाल मीणा (रावत) पिता श्री भजिया जी निवासी देलवास, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (पिकअप नं.-RJ 27 GB 1506)

...............विपक्षीगण

कार्यवाही:- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत्।

उपस्थिति:- 1- श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.09.2017 को उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा उचित मूल्य दुकानदार, तलावदा तहसील डूंगला के डीलर श्री विष्णु कुमावत द्वारा गेहूँ की कालाबाजारी करने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश की अनुपालना में मैं प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ हमराह श्री नरेश मीणा, प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति चित्तौड़गढ़ के साथ मौके पर ग्राम तलावदा पहुंचा। मौके पर उचित मूल्य दुकान बन्द मिली। उचित मूल्य दुकानदार को बुलाने पर वह काफी समय बाद पहुंचा। मौके पर श्री प्रेमचन्द, हैड कॉन्स्टेबल (बेल्ट नं. 1036) थाना डूंगला को बुलाया तो उसने बताया कि दिनांक 14.09.2017 को रात्रि 8.00 बजे उपखण्ड अधिकारी, डूंगला ने थाना प्रभारी डूंगला को ग्राम तलावदा में गेहूं की कालाबाजारी की सूचना दिये जाने पर मैं मय जाप्ता रात्रि 9.00 बजे मौके पर पहुंचा। ग्राम तलावदा में श्री भंवर लाल शर्मा के घर के बाहर सड़क पर काफी लोग खड़े थे तथा एक सफेद रंग की पिकअप नं. RJ 27 GB 1506 खड़ी थी जिसमें 7 कट्टे पेकिंगशुदा गेहूं के रखे थे। पूछताछ करने पर लोगों के बताया कि श्री भंवर लाल शर्मा के मकान का एक कमरा श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य

प्रकरण संख्या 11/2017 (रसद)
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य दुकानदार तलावदा (अस्थाई व्यवस्था) ग्रा. पं. बिलोट, तहसील डूंगला वगैरा

दुकानदार ने गेहूं के भण्डारण हेतु किराये पर ले रखा है मौके पर गोदाम/दुकान का शटर खुला था, उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि श्री विष्णु कुमावत पिकअप में राशन का गेहूँ भर रहा था, जिसे ग्रामवासियों ने देख लिया तो मौका पाकर वह स्वयं व पिकअप चालक श्री गोपाल मीणा मौके से फरार हो गये। ग्रामवासियों एवं पंचायत समिति सदस्य श्री संतोष धाकड़ की उपस्थिति में ताला मंगवाकर उचित मूल्य दुकान पर लगवाया गया एवं चाबी पुलिस को दी गई तथा पिकअप नं. RJ 27 GB 1506 एवं उसमे रखे हुये गेहूँ के 7 पेक्ड कट्टों को थाने में रखवाया। मौके पर सभी की उपस्थिति में श्री भंवर लाल शर्मा के मकान में संचालित दुकान का ताला खोला गया एवं रखी गई राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 25 क्विंटल 50 कि.ग्रा. गेहूँ पाया गया। मौके पर लोगों द्वारा बताया कि यहां से 200 मीटर की दूरी पर श्री नरेन्द्र शर्मा के मकान में एक और गोदाम संचालित है जिसकी भी जांच करने मौके पर पहूंचे। उसी समय श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित हुआ, जिसे कहकर ताला खुलवाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर उसमें 30 क्विंटल गेहूँ पाया गया। इस प्रकार दोनो गोदामों में गेहूँ की कुल मात्रा 55 क्विंटल 50 कि. ग्रा. पाई गई जबकि उचित मूल्य दुकानदार को जारी पोस संख्या 9605 में दर्ज ऑनलाईन रेकार्ड की जांच करने पर उसमें 15.09.17 का स्टॉक 116 क्विंटल 40 कि. ग्रा. पाया गया। इस प्रकार 60 क्विंटल 90 कि.ग्रा. गेहूँ कम पाया गया। मौके पर दोनों ही गोदामों में केरोसीन व चीनी की मात्रा शून्य पाई गई। मूल्य सूची एवं स्टॉक पट्ट सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं किसी भी प्रकार की हेल्पलाईन नम्बर का प्रदर्शन किया जाना नहीं पाया गया। पिकअप नं. RJ 27 GB 1506 एवं उसमें रखे गेहूँ के 7 पेक्ड कट्टे जो थानाधिकारी डूंगला की देखरेख में दिनांक 14.09.2017 को रात्रि 9.00 बजे थाने में रखवाये गये थे कि जांच करने पर 7 पेक्ड कट्टों पर एफ. सी. आई. का मार्का व मशीन की सिलाई पाई गई। उक्त कट्टों का तोल करवाने पर उसमें गेहूँ की कुल मात्रा 3 क्विंटल 50 कि. ग्रा. मय बारदान पाई गई। उक्त गेहूं मात्रा 3 क्विंटल 50 कि. ग्रा. मय पिकअप नं. RJ 27 GB 1506 को जब्त सरकार करके पुलिस थाना डूंगला की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री विष्णु कुमावत, उचित मूल्य दुकानदार, तलावदा (अस्थाई व्यवस्था) तहसील डूंगला तथा पिकअप नं. RJ 27 GB 1506 के चालक श्री गोपाल मीणा, निवासी देलवास का यह राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 7, 8, 9, 11 व 14 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री गेहूँ कुल मात्रा 3 क्विंटल 50 कि. ग्रा. मय बारदाना तथा पिकअप नम्बर RJ 27 GB 1506 का निस्तारण कराने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह राठौड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल त्रिपाठी ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके बाद विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्तागण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैराकार सरकार सुनी गयी।

पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर पिकअप संख्या RJ 27 GB 1506 में 7 पेक कट्टे भरे हुए पाये गये। भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन संख्या 9605 मे दर्ज ऑनलाईन स्टॉक दिनांक 15.09.2017 तक 116.40 क्विंटल दर्ज था जबकि मौके पर कुल 55.50 क्विंटल गेहूँ पाया गया जो स्टॉक के मुकाबले 60.90 क्विंटल कम था। जिससे स्पष्ट है कि पिकअप में भरे हुए गेहूँ के 7 कट्टे मात्रा 3.50 क्विंटल राशन का गेहूं था, जो कालाबाजारी के लिये भरा जा रहा था। अतः जब्तशुदा गेहूं व अन्य सामग्री को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि मुझ विपक्षी का इस प्रकरण से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। जब्तशुदा गेहूं भी मेरे नही होकर मोहनदास वैष्णव राशन डीलर ग्राम डेलवास का है। मोहनदास को निलंबित किया गया जिसका अतिरिक्त चार्ज मुझे दिया गया। निलंबित करते वक्त रसद विभाग यदि मोहनदास राशन डीलर के गोदाम के बारे में मालुमात करता तो इस प्रकार की अनियमितता नहीं होती। उक्त 3.50 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी नहीं हुई है दिनांक 17.07.2017 को उचित मूल्य दुकान तलावदा का अतिरिक्त चार्ज मुझे देते समय मोहनलाल ने मुझे रसीद बनाकर दी जिसमें उक्त गेहूं होना दर्शा रखा है। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों की लापरवाही एवं त्रुटि के कारण मुझे सूचना भिजवाई गई है। जबकि उक्त गेहूँ वक्त घटना मोहनदास द्वारा ही भरा जा रहा था।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार, प्रवर्तन अधिकारी की बहस पर मनन किया। जब्तशुदा पिकअप संख्या RJ 27 GB 1506 को पूर्व में प्रकरण संख्या 21/2018 (रे.वि.) में दिनांक 08.05.2018 को उसके वैद्य स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

चूंकि मौके पर पिकअप संख्या RJ 27 GB 1506 में 07 कट्टे गेहूं के भरे हुए पाये गये जिनका वजन 3 क्विंटल 50 कि.ग्रा. तथा उन कट्टों पर एफ. सी. आई. का मार्का व मशीन की सिलाई किये हुए पाये गये। श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा श्री भंवर लाल शर्मा एवं श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के मकान में किराये पर लिये गये गोदामों का भौतिक सत्यापन करने पर वहां मूल्य सूची एवं स्टॉक पट्ट, सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं किसी भी प्रकार की हेल्प लाईन नम्बर का प्रदर्शन किया जाना भी नहीं पाया गया जो कि अनियमितता की श्रेणी में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आता है। उक्त दोनों गोदामों में मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर कुल 55 क्विंटल 50 कि. ग्रा. गेहूँ की मात्रा पाई गई जबकि श्री विष्णु कुमावत उचित मूल्य दुकानदार को जारी पोस संख्या 9605 में दर्ज ऑनलाईन रिकॉर्ड की जांच करने पर दिनांक 15.09.2017 तक कुल 116 क्विंटल 40 कि. ग्रा. स्टॉक पाया गया। इस प्रकार स्टॉक के मुकाबले कुल 60 क्विंटल 90 कि. ग्रा. गेहूँ कम पाया गया। विपक्षी संख्या 1 को मौके पर पिकअप में राशन का गेहूँ भरते हुए ग्रामवासियान ने स्वयं देखा है और विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं भी अपने जवाब में उक्त गेहूं दिनांक 17.07.2017 को श्री मोहनदास वैष्णव द्वारा रसीद बनाकर चार्ज में देना व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है, जिससे विपक्षी संख्या 1 का कथन की उक्त जब्तशुदा गेहूँ श्री मोहनदास वैष्णव निलम्बित राशन डीलर के हैं और वक्त घटना श्री मोहनदास वैष्णव द्वारा ही उसे भरा जा रहा था मानने योग्य नहीं है तथा उक्त सभी तथ्य इस बात को बल देते हैं कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से भण्डारण करना एवं कालाबाजारी करना प्रमाणित पाया जाता है।

निष्कर्षतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 3 क्विंटल 50 कि. ग्रा. मय बारदाना को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)